राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2213/2025

शैलेन्द्र कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव–ा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता (प्रशासनिक), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जेकब रोड़, 2, सिविल लाईन, जयपुर।
4. अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी वृत्त, कृष्णा नगर, भरतपुर।
5. महेन्द्र सिंह पुत्र गोपाल राम सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, खण्ड जिला भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.03.2025
आदेश की दिनांक : 10.03.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री कैलाश शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री अंजनी कुमार शर्मा, कैवियटर

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक अभियंता के पद पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उपखण्ड बयाना, भरतपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड बयाना में निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 के स्थान पर किया गया है तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 का स्थानान्तरण सहायक अभियंता, उपखण्ड बयाना, भरतपुर से अपीलार्थी के स्थान पर संमजित करने के आशय से किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का आगे कथन है कि जहां पर अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, वहां पर सहायक अभियंता, खण्ड का कोई पद ही सृजित नहीं है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.09.2024 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान पर पदस्थापित किया गया। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने कार्यग्रहण

पश्चात् मात्र तीन माह की अल्पावधि में ही पुनः आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की स्थानान्तरण नीति के संबंध में जारी परिपत्र दिनांक 03.07.2015 (अनुलग्नक–8) के द्वारा सहायक अभियंता का एक खण्ड में ठहराव 03 वर्ष एवं जिले में 05 वर्ष निर्धारित किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त स्थानान्तरण नीति का उल्लंघन करते हुए अपीलार्थी का स्थानान्तरण 03 माह की अल्प अवधि में किया गया है, जो कि विधि–विरूद्ध है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 2269/2025 दायर की गई। जिसमें पारित आदेश दिनांक 24.02.2025 द्वारा अपीलार्थी के द्वारा माननीय अधिकरण में अपील दायर करने हेत माननीय उच्च न्यायालय में दायर अपील को वापस लिये जाने की प्रार्थना की गई। माननीय न्यायालय द्वारा अपनी समस्या के संबंध में अधिकरण में 30 दिवस में अपील दायर करने तथा माननीय अधिकरण द्वारा 3 माह में अपील का निस्तारण करने के निर्देश के साथ अपील का निस्तारण किया गया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को सहायक अभियंता, उपखण्ड, बयाना, भरतपुर में पदस्थापित रखा जावे एवं डीडीओ की शक्तियां दी जावे।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है अपीलार्थी सहायक अभियंता के पद पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उपखण्ड बयाना, भरतपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.09.2024 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी का कनिष्ठ अभियंता से सहायक अभियंता के पद पर पदोनन्त करते हुए पदस्थापन सहायक अभियंता उपखण्ड बयाना, भरतपुर में रिक्त पद पर किया गया। निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अवगत करवाया कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.03.2018 के द्वारा सहायक अभियंता कार्यालय, खण्ड बयाना, भरतपुर में नवसृजित पद पर सर्वप्रथम पदस्थापन किया गया था। तत्पश्चात् प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 27.06.2022, 30.06.2022, 07.07.2022, 14.01.2023 के द्वारा सहायक अभियंता खण्ड बयाना, भरतपुर में सहायक अभियंताओं के पदस्थापन किये गये थे। अपीलार्थी का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि वहां पर सहायक अभियंता खण्ड बयाना, भरतपुर में पद सृजित नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग के

आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण सहायक अभियंता, उपखण्ड बयाना, भरतपुर से सहायक अभियंता, खण्ड बयाना, भरतपुर में प्रशासनिक कारणों एवं लोकहित में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। हमें प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)